इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 165] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 16 अप्रैल 2013—चैत्र 26, शक 1935

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2013

क्र. एफ 1-01-2013-साठ.—मंत्रि-परिषद् की दिनांक 03 अप्रैल 2013 को सम्पन्न बैठक में मध्यप्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा की नीतियों में भूमि उपयोग की अनुमति के प्रावधान में वित्तीय संस्थाओं को प्रतिस्थापना का अधिकार (Right to Substitution) का प्रावधान किया जाना अनुमोदित किया गया है. सर्वसाधारण की जानकारी के लिये उक्त नीति का प्रकाशन ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में किया जा रहा है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. आर. मोहन्ती, प्रमुख सचिव.

मध्यप्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा की नीतियों में भूमि उपयोग की अनुमति के प्रावधान में वित्तीय संस्थाओं को प्रतिस्थापना का अधिकार (Right to Substitution) का प्रावधान किया जाना.

गैर परम्परागत ऊर्जा नीतियाँ, लघु जल विद्युत् परियोजना की नीति अधिसूचना दिनांक 3 नवम्बर 2011 में नवीन कण्डिका 5.74 (खण्ड अ), पवन ऊर्जा आधारित नीति की अधिसूचना दिनांक 30 जनवरी 2012 में नवीन कण्डिका 4.5 (खण्ड अ), सौर ऊर्जा से विद्युत् उत्पादन की नीति अधिसूचना दिनांक 18 जुलाई 2012 में नवीन कण्डिका 18 ई (खण्ड अ) व बायोमास ऊर्जा आधारित विद्युत् नीति की अधिसूचना दिनांक 12 अक्टूबर 2011 में नवीन कण्डिका 11.7.6 (खण्ड अ) निम्नानुसार समाहित की जाती है:—

''मुख्य ऋण देने वाली संस्था को ऋण अवधि के दौरान भूमि उपयोग हेतु विकासक के प्रतिस्थापना का अधिकार (Right to Substitution) होगा.''

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.